निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)

प्रकरण संख्या 84/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

आलोक पुत्र शंकर लाल जाति महाजन निवासी ग्राम टोडालडी,तहसील आधी, हाल निवासी मकान नम्बर 2/264, विद्याधर नगर, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ पीठासीन अधिकारी श्री चिमनाराम मीणा आर.ए.एस. जयपुर।
2. विमल पासवान पुत्र सुंगरत पासवान जाति दुसाद हरिजन, निवासी ग्राम चांदीराज, थाना बेला, जिला सीताबाडी, बिहार ।
3. मधु पत्नी शंकर लाल जाति महाजन निवासी ग्राम ग्राम टोडालडी, तहसील आधी, हाल निवासी मकान नम्बर 2/264, विद्याधर नगर, जयपुर ।
4. राघव पुत्र आलोक अग्रवाल नाबालिग जाति महाजन निवासी ग्राम टोडालडी, तहसील आधी, हाल निवासी मकान नम्बर 2/264, विद्याधर नगर, जयपुर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहिसीलदार आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण।
6. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 12/2023 ब उनवानी विमल पासवान बनाम आलोक व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री रामकरण शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री सचिन शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 05.10.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 12/2023 ब उनवानी विमल पासवान बनाम आलोक व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से विन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री सचिन शर्मा ने उपस्थित हो कर वकालतनामा व जबाब पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि पत्रावली में दिनांक 27.07.2023 तारीख पेशी नियत थी। प्रार्थी जब न्यायालय में पहुचे तो अप्रार्थी संख्या 2 से ही उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में उपखण्ड अधिकारी के साथ चाय पीते हुये बातचीत कर रहे थे तथा करीब आधा घंटा तक उपखण्ड अधिकारी के चैम्बर में अकेले रहे। प्रार्थी को शक हुआ तो प्रार्थी भी उपखण्ड अधिकारी के चैम्बर में घुस गया तब अप्रार्थी संख्या 2 के हाथ में न्यायालय की फाईल थी जिसको दिखा कर कह रहे थे कि साहब आपको तो सिर्फ इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना है। उक्त शब्द स्वयं प्रार्थी ने अपने कानों से सुने व आखें से देखा है। उपखण्ड अधिकारी राजनैतिक दबाव के कारण उक्त प्रकरण में बिना प्रार्थी को सुने प्रकरण को स्वीकार कर फैसला करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 2 दिनांक 30.07.2023 को गांव में गावं वालों से बोल रहे थे कि हमारी उपखण्ड अधिकारी से सांठ गांठ हो गई है तथा हम हमारी भूमि में उपखण्ड अधिकारी से मिल कर रास्ता ले रहे है और हम राजनैतिक पहुंच रखते है जो विधायक के प्रभाव से उपखण्ड अधिकारी से इनकी भूमि में से रास्ता लेकर रहेंगे। इसलिए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से प्रार्थी का विश्वास उठ गया है। इसलिए उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है । अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी अप्रार्थी को अपनी भूमि में से जाने हेतु रास्ता नही देना चाहता इसलिए झूंठे तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है । प्रार्थी का यह तथ्य गलत है कि अप्रार्थी के हाथ में न्यायालय की कोई फाईल थी। क्योकि अप्रार्थी उस दिन न्यायालय में गया ही नही तो फाईल हाथ में लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूंठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थीगण ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे

जिला कलक्टर
जयपुर

प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 05.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर